न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 11/2017/(2017/00094) जिला–अजमेर

भंवरलाल शर्मा पुत्र घीसालाल शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम चण्डाली, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. महावीर प्रसाद पुत्र घीसालाल शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी 301/15 व्यास गली, पुरानी मण्डी, अजमेर
2. भंवरी देवी पत्नी स्व0 मोहनलाल चाष्टा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम चण्डाली, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
3. शांतिदेवी पत्नी प्रहलाद भारद्वाज जाति ब्राहमण निवासी जूनिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
4. प्रेम देवी पत्नी स्व0 रतनलाल जोशी जाति ब्राहमण्उ निवासी ग्राम रामपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
5. मूली देवी पत्नी स्व0 जीवणराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम काचरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़ जिला अजमेर।

–––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ दिनांक 31–01–2017
अन्तर्गत अपील संख्या 06/2012 बउनवान महावीर प्रसाद बनाम
श्रीमती भंवरी देवी व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री एस0पी0ओझा अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत अभिभाषकगण प्रत्यर्थी सं01

निर्णय

दिनांकः– 03.09.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार श्री घीसालाल की मृत्यु के उपरान्त उसकी खातेदारी आराजियात का नामान्तरकरण संख्या 509 दिनांक 9–10–2006 को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया। उक्त आदेश के

विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक अपील उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के समक्ष भारी मियाद बाहर पेश की जिसे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–01–2017 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट की अपील स्वीकार कर ली। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि ग्राम पंचायत द्वारा साधारण सभा में नामान्तरकरण संख्या 509 दिनांक 8–10–2006 अपीलांट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया था जिसकी जानकारी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को पूर्व से ही थी। तत्पश्चात रेस्पोन्डेन्ट ने बैंक से ऋण भी लिया था जिस कारण रेस्पोन्डेन्ट को आक्षेपित नामान्तरकरण की पूर्णतया जानकारी थी। इसके बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की जो अधिनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी रूप से स्वीकार कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा सरवाड़ से विवादग्रस्त आराजियात को रहन रखकर ऋण लिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 881 दिनांक 27–2–2012 दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को नामान्तरकरण संख्या 509 दिनांक 9–10–2006 की जानकारी पूर्व से ही थी। उक्त नामान्तरकरण संख्या 509 सभी वारिसान की सहमति व स्वेच्छा से ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के हक में नामान्तरकरण संख्या 509 दिनांक 9–10–2006 स्वीकृत होने से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व्यथित पक्षकार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकस नहीं था। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है जिसमें किसी पक्षकार के हक अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि नामान्तरकरण उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्वीकृत किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त नामान्तरकरण के 6 वर्ष पश्चात अपील पेश की है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खोले गये नामान्तरकरण को राजस्व वाद पेश कर साक्ष्य, सबूत व गवाहों के आधार पर ही तय किया जा सकता है न कि नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही के आधार पर। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया जिस कारण भी अपील निरस्त योग्य थी। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि 2005 से पूर्व खातेदार की मृत्यु होने पर पुत्रियों का कोई हक व हिस्सा नहीं होगा। इस बिन्दु पर गौर न कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायलय ने आनन–फानन में

अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें उन्होंने अपने निर्णय में दिनांक 31–01–2017 के स्थान पर दिनांक 31–3–2017 अंकित कर दी। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायलय द्वारा पारित निर्णय कानूनी प्रावधानों का अवलोकन किये बिना पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–1–2017 निरस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 509 दिनांक 9–10–2006 को बहाल रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 एवं धारा 10 के तहत पिता की सम्पत्ति में सभी वारिसान के नाम इंतकाल खोला जाना चाहिए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सर्विस में रहने के कारण हमेशा से ही बाहर रहे है जिस कारण उन्हें इन्तकाल की जानकारी नहीं हो सकी। जब बहनों के द्वारा हक त्याग किया गया तब रेकार्ड की जानकारी हुई है । बहनो द्वारा अर्थात (1) प्रत्यर्थी संख्या 2 भंवरी देवी द्वारा दिनांक 22–6–2012 (2) प्रत्यर्थी संख्या 4 प्रेम देवी द्वारा दिनांक 25–6–2012 (3) प्रत्यर्थी संख्या 5 मूली देवी द्वारा दिनांक 25–6–2012 को हक त्याग कर देने के तुरन्त बाद अपील पेश की गई है अपील में निर्णय होने के उपरान्त नये इंतकाल पारित करवाकर अपीलांट ने अपने पक्ष में हक त्याग करवाया है जो उनकी अपील में निर्णय को स्वीकृति प्रदान करता है तथा बंटवारे बाबत नियमित वाद विचाराधीन है। रेस्पोन्डेन्ट अभिभाषक द्वारा आर.आर.डी. 1995 पेज 238 पेश कर कथन किया कि हिन्दू खातेदार की मृत्यु पर इंतकाल सभी वारिसान के नाम धारा 8 एवं धारा 10 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पारित किया जावेगा परन्तु विरासत/उत्तराधिकार का नामान्तरकरण गलत विरासत पर खोला गया है तो पुनः जांच की जावेगी तथा ऐसा नामान्तरकरण जो अवैध हो उसे कभी भी चैलेंज किया जा सकता है जिस पर मियाद अधिनियम की सीमा प्रभावी नहीं होती है।

उन्होंने आर.आर.टी. 2002 पेज 257 एवं आर.आर.डी. 1989 पेज 45 की नजीर पेश कर कथन किया कि एबनिशियो वॉयड आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जिसे काल बाधित नहीं माना जा सकता है। अधिनस्थ न्यायलय ने 18 वर्ष बाद पेश अपील को संधारण योग्य माना गया है। रेस्पोन्डेन्ट अभिभाषक ने एक अन्य नजीर आर.आर.टी. 2002 पेज 320 पेश कर कथन किया कि उक्त प्रकरण में अपील के आदेश की पालना करवाकर अपने पक्ष में हकत्याग करवाकर स्वीकृति प्रदान की गई है जिसे अब बाध्यकारी होकर अपील चलने योग्य नहीं है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार श्री घीसालाल पुत्र रामचन्द शर्मा की मृत्यु दिनांक 27–11–2003 को होना अविवादित है किन्तु घीसालाल का फौतगी का नामान्तरकरण अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम स्वीकृत किया गया है जबकि घीसालाल की जायन्दा पुत्रियां रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 5 होने से उनका नाम भी नामान्तरकरण में दर्ज किया जाना चाहिए था। इस प्रकार ग्राम पंचायत रामपाली द्वारा पारित नामान्तरकरण सख्यां 509 दिनांक 9–10–2006 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

1956 की धारा 8 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–1–2017 विधिसम्मत है । अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार श्री घीसालाल पुत्र रामचन्द्र की मृत्यु के उपरान्त उसकी खातेदारी आराजियात का नामान्तरकरण संख्या 509 दिनांक 9–10–2006 सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में स्वीकृत किया गया जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत पुत्रियों का भी हक एवं अधिकार निहित होता है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृति से पूर्व विधिक वारिसान की जांच नहीं कर केवल अपीलांट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के ही नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो विधिसम्मत नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–4 के अनुसार हिन्दू पुरूष की मृत्यु पश्चात उसकी विधवा, पुत्रियां एवं पुत्र उसकी सम्पत्ति के बराबर हिस्सेदार रहेगें। इसी प्रकार उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 33, 34 एवं 59 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात के भू–धारक की मृत्यु होने पर उसके जाईन्दा पुत्र, पुत्री एवं विधवा तथा विधवा की मृत्यु पश्चात उसके हक की सम्पत्ति उसके पुत्र एवं पुत्रियों में बहिस्सा बराबर आयेगी। नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिससे किसी के हक–हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेतदार स्व0 घीसालाल पुत्र रामचन्द्र के विधिक वारिसानों की भलीभांति जांच कर एवं उनकी सुनवाई कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करने के विधिसम्मत आदेश पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) सरवाड़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31–01–2017 (31–3–2017) अन्तर्गत अपील संख्या 06/2012 महावीर प्रसाद बनाम श्रीमति भंवरी देवी व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.12.27 13:35:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: